



Neutral citation No. 2026:AHC-LKO:42235

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4652 वर्ष 2026

पवन वर्मा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सत्यम सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

थाना- छपिया, जिला- गोंडा में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (एतस्मिनपश्चात् 'अधिनियम 1986' के रूप में संदर्भित) की धारा 3(1) के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 173 वर्ष 2026 में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ यह वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट/गिरोह तालिका में आवेदक के विरुद्ध दो प्रकरण दर्शाए गए हैं, जिनमें उसे जमानत प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का दो अन्य प्रकरण में आपराधिक इतिहास है, जिसकी उल्लेख जमानत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर संख्या 5 में किया गया है।

आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने तथा अनुचित सामायिक, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के आरोप अस्पष्ट और मनगढ़ंत हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन से यह प्रकट होता है कि आरोप लंबित आपराधिक प्रकरणों पर आधारित हैं, न कि किसी नए आरोप या किसी ऐसे तथ्य की खोज पर जिसका समाज पर बड़े पैमाने पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो, जिसके कारणों से उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 प्रख्यापित किया गया था। उन्होंने आगे जोड़ा कि पुलिस उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के प्रावधनों का उपयोग आवेदक को

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रताड़ित और भयभीत करने हेतु एक हथियार के रूप में कर रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन, अपना अच्छा कार्य दर्शाने या उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर रहा है, जो कि अनावश्यक और औचित्यहीन है।

अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक किसी भी असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं है और वह न तो किसी गिरोह का सदस्य है और न ही नेता।

आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक दिनांक 23.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है और वह उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत अपराध का दोषी नहीं है। वह यह वचन देता है कि जमानत पर रहने के दौरान वह कोई अपराध नहीं करेगा, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का कभी प्रयास नहीं करेगा, जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा। इसलिए यह निवेदन है कि आवेदक जमानत पाने का अधिकारी है।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया, किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि गैंग चार्ट/गिरोह तालिका में उल्लिखित मामले में (गैंग चार्ट के अतिरिक्त स्पष्ट किए गए प्रकरणों में) आवेदक जमानत पर है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात, यह प्रकट होता है कि आवेदक दिनांक 23.11.2025 से कारागार में निरुद्ध

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है, उसके आपराधिक इतिहास को स्पष्ट कर दिया गया है तथा उसने वचन दिया है कि वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों, आरोप की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का उपयुक्त मामला पाता हूँ।

उपर्युक्त अपराध में लिप्त आवेदक- **पवन वर्मा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(1) आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/धमकाकर या अन्यथा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(2) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के तहत कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(3) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) प्रकरण की सुनवाई करने (ii) आरोप विरचित करने तथा (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा; तथा

(4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के प्रकरण में अवर न्यायालय जमानत रद्द करने और आवेदक को जेल भेजने हेतु स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां सख्ती से केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव डालने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

जून 29, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।